[6/3/2026]

प्रश्न क्र. 893

प्रश्न सं. [क्र. 893]

परिशिष्ट = अ

श्री सन्दीप कुमार द्विवेदी तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत तिघरा की जॉच प्रवितेदन

—00—

कार्यालय जिला पंचायत रीवा (म0प्र0) के आदेश कमांक/358/जिप /पंचायत /2024 दिनांक 19.02.2024 एंव अन्य आदेशो के परिपालन मे जनपद पंचायत सिरमौर के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखो के अनुसार जॉच प्रतिवेदन के बिन्दु निम्नानुसार है :–

शिकायतबिन्दु :–

श्री सन्दीप कुमार द्विवेदी तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत तिघरा वर्तमान ग्राम पंचायत पिपरा जनपद पंचायत सिरमौर के विरूद्व कूट रचित दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एंव पदस्थ पंचायतो मे अनियमितता की शिकायते प्राप्त हुई थी।

बिन्दु (A) नियुक्ति के संबध मे

उपरोक्त के संबध मे जॉच दल द्वारा कार्यालय जनपद पचांयत सिरमौर पहुच कर संबधित कर्मचारी की नियुक्ति संबधी दस्तावेज एंव पूर्व से वर्तमान तक पदस्थ पंचायतो के व्यय भुगतान दस्तावेजो की मॉग की गई। कार्यालय जनपद पंचायत सिरमौर द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजो की प्रांरभिक जॉच मे प्राप्त तथ्यात्मक बिन्दु निम्नानुसार हैः–

5811 / 14/11/25

1. श्री संदीप द्विवेदी की प्राप्त सेवा पुस्तिका की छायाप्रति के प्रथम पेज पर उनकी प्रांरभिक नियुक्ति से संबधित निम्नानुसार टीप अंकित है माननीय न्यायालय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के समक्ष दायर निगरानी प्रकरण कमाक 64/2000–2001 मे पारित आदेश दिनांक 23.11.2000 के पालन मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरमौर द्वारा कमांक/99/पंचायत/2000–2001 सिरमौर दिनांक 15.01.2000 द्वारा सचिवीय दायित्वो के निर्वहन हेतु अधिकृत किया जाकर नमूना हस्ताक्षर बैको को प्रेषित किये गये।

   सरपंच ग्राम पंचायत तिघरा जनपद पंचायत सिरमौर के आदेश कमाक /क्यू/सचिव/2000/25/पंचायत दिनांक 21.08.2000 द्वारा म0प्र0 शासन पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप कमांक /एफ/2/12/22/पंचा–1/95 भोपाल दिनांक 12.09.1995 के परिपालन मे ग्राम पंचायत तिघरा की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 20.08.2000 द्वारा पारित प्रस्ताव कमांक 03 के पालन मे श्री संदीप कुमार द्विवेदी की ग्राम पंचायत तिघरा मे पंचायत कर्मी पद पर नियुक्ति की गई एंव श्री द्विवेदी दिनांक 21.08.2000 को अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन हेतु उपस्थित हुए।
2. कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) जिला रीवा म0प्र0 के आदेश पृक0/पंचा/एक/96 /08/4326 रीवा दिनांक 21.12.2000 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अतिंम निर्णय के अध्याधीन कलेक्टर महोदय के अनुमोदन द्वारा पंचायत सचिव अधिसूचित किया गया है।
3. ग्राम पचायत तिघरा की ग्राम सभा सम्मेलन दिंनाक 20.08.2000 (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरमौर द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजो के पेज कंमाक 47 से 53 तक) पेज कमांक 51 पर पंचायत कर्मी संतोष कुमार तिवारी को पंचायत कर्मी के पद से सर्व सम्मति से पृथक किया जावेगा नवीन पंचायत कर्मी संदीप कुमार द्विवेदी को पंचायत के प्रस्ताव कमांक 03 दिंनाक 28.07.2000 के पारित स्वीकृत प्रस्ताव की स्वीकृति दी जावे तथा

संयुक्त संचालक (...)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पंचायत कर्मी पद पर नियुक्ति किया जावे की ग्राम सभा सदस्यो ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव का समर्थन किया का लेख वर्णित है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 10.07.2000 पेज कमाक 47 मे लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत तिघरा मे पंचायत कर्मी पद रिक्त हो चुका है जब कि दिंनाक 20.08.2000 की बैठक मे पूर्व मे पदस्थ पंचायत कर्मी श्री संतोष कुमार तिवारी को पद से पृथक करने की स्वीकृति ग्राम सभा के सम्मेलन मे लिया गया। विवरण मे लेख किया गया है कि उक्त निर्णय दिनांक 28.07.2000 के पारित स्वीकृत प्रस्ताव मे स्वीकृत था परन्तु उक्त प्रस्ताव जॉच दल को प्राप्त नही है तथा किन सदस्यो द्वारा उक्त प्रस्ताव लाया गया एंव उक्त प्रस्ताव पारित करते समय किन सदस्यो की उपस्थिति थी का पूर्ण विवरण उपलब्ध नही है।

4. दिनांक 28.07.2000 के पारित प्रस्ताव के द्वारा पंचायत कर्मी श्री संतोष कुमार तिवारी को पंचायत कर्मी पद से पृथक किये जाने का लेख किया गया परन्तु ग्राम पंचायत तिघरा द्वारा इस्तहार/विज्ञापन दिनांक 10.07.2000 को ही पंचायत कर्मी पद रिक्त दिखाते हुए जारी किया गया है यह स्थिति संदिग्ध है।
5. बिन्दु कमांक 02 मे वार्णित आदेश मे लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के पारित निर्णय मे श्री संदीप कुमार द्विवेदी तत्कालीन ग्राम पंचायत तिघरा के अधिसूचना आदेश कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) जिला रीवा म0प्र0 के आदेश पृक0/पंचा/एक/96 /08/4326 रीवा दिनांक 21.12.2000 अध्याधीन होगा। उक्त आदेश मे वार्णित रिट पिटीशन कमांक 13065 दिंनाक 2006 का निर्णय की प्रति अपठनिय है ।

उपरोक्त विवरण अनुसार श्री संदीप कुमार द्विवेदी की पंचायत कर्मी के रूप मे अधिसूचित किया जाने की प्रकिया प्रारंभिक जॉच मे संदिग्ध परिलक्षित होती है।

बिन्दु (B) पदस्थापनाअवधि मे अनियमितता :–

जॉचदल द्वारा उक्त कें संबध मे कार्यालय जनपद पंचायत सिरमौर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखो का परीक्षण किया गया उपलब्ध कराये गये अभिलेखो के आधार पर मनरेगा योजना अन्तर्गत व्यय की गई राशि प्रकरण कमांक /11 राषि रू0 154888.00 के वसूली का प्रस्ताव माननीय (कलेक्टर) जिला पंचायत रीवा मे वसूली प्रस्तावित की गई है।श्री संदीप कुमार द्विवेदी की पदस्थापना अवधि मे पदस्थ ग्राम पंचायतो मे की स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा की गई अंकेक्षण की प्रतिप्राप्त नही हो पाई है। प्रारभिंक जॉच मे पदस्थापना अवधि के दौरान पदस्थ ग्राम पचायतो की अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

श्री संदीप कुमार द्विवेदी तत्कालीन ग्राम सचिव ग्राम पंचायत तिघरा वर्तमान ग्राम पंचायत पिपरा जनपद पंचायत सिरमौर की नियुक्ति एंव ग्राम पंचायत मे अनियमितता के संबध मे जॉच प्रतिवेदन दिनांक 29.08.2025 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को सौपा गया था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा मौखिक निर्देशित किया गया की अब तक प्राप्त अभिलेखो /जॉच मे अनियमितता के संबध मे कार्यवाही हेतु अभिमत प्रतिवेदित करें।

उक्त के परिपालन मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरमौर को पत्र क्रमांक /स्था/2025/2177/रीवा दिनांक 24.10.2025 के द्वारा श्री संदीप कुमार द्विवेदी के नियुक्ति संबधी समस्त जानकारी पुनः मॉगी गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरमौर द्वारा पत्र क्रमांक /3458/स्था/जन.पंचा/2025 सिरमौर दिनांक 31.10.2025 के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया गया ।

संयुक्त संचालक (वि.)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

अभिमतः–

जॉच समिति एक मत से कार्यालय जनपद पंचायत सिरमौर के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आधार पर जॉच प्रतिवेदन के पेज क्रमाक 02 के बिन्दु 04 मे वार्णित तथ्यों के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया संदिग्ध पाई गई है। जॉच समिति आवश्य कार्यवाही करने की अनुशंसा करती है।
संलग्नः–परिषिष्ट कुल पृ0 (1 TO 172)

(नीलम राय)	(अभय राज सिह)	07/11/15 (अनिल दुबे)
लेखाधिकारी	सहायक संचालक (वित्त)	सयुक्त संचालक
जिला पंचायत रीवा	जे0डी0को0ले0 रीवा	सामाजिक न्याय रीवा

प्रति

मुख्य कार्यपालनअधिकारी
जिलापंचायतरीवा (म0प्र0)

संयुक्त संचालक (प्र.)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश